अदालत तारीख	फर्द अहकाम
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रकरण में बार-बार प्रार्थी व प्रार्थी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व प्रार्थी वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी व प्रार्थी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० न० 679/08 GA सरकार बनाम गोविन्द आदि वगैरह व अन्य देरवी को खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार बैकर सम्बन्ध से समाप्त।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:19:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner